तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 223/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/389) बअनवान मदनलाल बनाम सांगीदान इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

मदनलाल

बनाम

सांगीदान इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री रोशनलाल, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री भीखाराम विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या 1

आदेश

दिनांक 02.04.2025

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 56/2024 अनवान सांगीदान बनाम अमना इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 19 जुलाई 2024 के विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 12 सितंबर 2024 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थी भूमि खसरा नंबर 520 का खातेदार काश्तकार है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा विवादित भूमि खेत खसरा नंबर 520 व 520/1 का केवल माठ को लेकर विवाद होना बताया गया है। राजस्व रेकर्ड के संबंध में किसी तरह का विवाद नही होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति का आदेश गलत रूप से पारित किया गया है। इस कारण अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस जारी रखते हुए निवेदन किया कि अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28-08-2024 को उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया तथा दिनाक 03-09-2024 को पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। दिनाक 04-09-2024 को पत्रावली में बहस हुई तथा आदेश हेतु दिनाक 09-09-2024 को पत्रावली नियत की गई। इसी दौरान पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो गया तथा अन्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 223/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/389) बअनवान मदनलाल बनाम सांगीदान इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधिकारी नही लगाये जाने के कारण अपीलांट को हस्तगत अपील प्रस्तुत करनी पड़ी। रेस्पोडेंट संख्या एक का आरोप है कि खसरा नं0 520 के खातेदार खसरा नं0 520/1 मे प्रवेश करना चाहते है। इस संबंध में अपीलांट का निवेदन है कि उसके द्वारा खसरा नंबर 520/1 में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं की जा रही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 19 जुलाई 2024 को निरस्त किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट संख्या एक की खातेदारी भूमि में दखलंदाजी पैदा की जा रही है तथा जबरदस्ती अंदर प्रवेश किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। विचारण न्यायालय द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध होने से पोषणीय नहीं है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 520 रकबा 4.9372 हैक्टेयर का रेकर्डेड सहखातेदार दर्ज है। रेस्पोडेंट संख्या एक की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 520/1 रकबा 4.9453 हैक्टेयर है। खसरा नंबर 520 एवं 520/1 राजस्व रेकर्ड में पृथक से तरमीम होकर स्वतंत्र सीमाओं से आबद्ध है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये रेस्पोडेंट संख्या एक की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 520/1 के साथ-साथ अपीलांट की भूमि पर भी एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाना पाया जाता है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 223/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/389) बअनवान मदनलाल बनाम सांगीदान इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि-विरुद्ध, एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना शेष है। लिहाजा मामला अंतिम निस्तारण हेतु दिशा निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रुप की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 56/2024 अनवान सांगीदान बनाम अमना इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 19 जुलाई 2024 को अपास्त किया जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का अंतिम निस्तारण करे। तब तक अपीलांट को पाबंद किया जाता है कि वह रेस्पोडेंट की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 520/1 में दखलंदाजी पैदा नहीं करे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर